

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 10/2019

1. मेजर सिंह पुत्र हरसा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
2. हरमीक सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
3. हरसिमरण कौर पुत्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
4. गुरमीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।

-वादीगण--

बनाम

1. प्रभजोत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
2. विरेन्द्र कौर पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
3. सदा कौर पुत्री ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
4. बीकर सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर।
5. बलजीत कौर पुत्री हंसा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
6. भोला सिंह पुत्र हंसा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
7. हरजीत कौर पुत्री हंसा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
8. महिमा सिंह पुत्र हंसा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
9. मनजीत कौर पुत्री हंसा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
10. नत्था सिंह पुत्र हंसा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।
11. गुलाब सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर।
12. रसवेग सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्री करणपुर।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।
14. राजेन्द्र सिंह पुत्र दिलदार सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ तहसील श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीए

--निर्णय--

दिनांक : 16.03.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्री करणपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 9446 दिनांक 04.03.2020 को विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2,14 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी सहमति दी गई एवं निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे तो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 , 2, 14 को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के द्वारा दी गई सहमति एवं तहसीलदार श्री करणपुर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार चक 29 एफ की जमाबन्दी

मेजर सिंह आदि बनाम प्रभजोत आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53,92ए आरटीए प्रकरण संख्या 10/2019

सम्बत 2074 ता 77 के खाता संख्या 22/5 के मु.न. 40, 55, 56, 61/4 की कुल 12.646 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिए जाते है:-

1. मेजर सिंह पुत्र हरसा सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ 2.269 हैक्टर, हरमीक सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ 2.108 हैक्टर हरसिमरण कौर पत्नि प्रदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ 0.681 हैक्टर का हिस्सा:-

चक 29 एफ के मु.न. 55 के किला न. 1,2,3,4,7 ता 14 व 17 ता 24 सालम-सालम कुल 5.060 हैक्टर भूमि।

2. गुरमीत सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ 1.265 हैक्टर भूमि का हिस्सा:-

चक 29 एफ के मु.न. 56 के किला न. 1,10,11,20,21 सालम कुल 1.265 हैक्टर

3. प्रभजोत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ 1.265 हैक्टर, विरेन्द्र कौर पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 29 एफ 2.530 हैक्टर, राजेन्द्र सिंह पुत्र दिलावर सिंह 1.265 हैक्टर का हिस्सा:-

चक 29 एफ के मु.न. 40 के किला न. 2 की 0.227 हैक्टर, किला न. 3 की 0.228 हैक्टर, किला न. 4 की 0.228 हैक्टर, किला न. 5 की 0.202 हैक्टर, किला न. 6 की 0.228 हैक्टर, किला न. 7,8,9,12,13,14 सालम-सालम, किला न. 15 की 0.228 हैक्टर, किला न. 16 की 0.228 हैक्टर, किला न. 17,18,19,22,23,24 सालम-सालम, किला न. 25 की 0.228 हैक्टर कुल 4.831 हैक्टर, मु.न. 55 के किला न. 5/1 की 0.102 हैक्टर, मु.न. 61/4 की 0.126 हैक्टर गैरमुमकिन खाला कुल 5.059 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि।

इस खाते के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। स्टाम्प ड्युटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इसी आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

